झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. अध्याय (1) की धारा-2 में अंत:स्थापन ।
3. अधिनियम की धारा-3(1) के बाद धारा-3(1)(क) का अंत:स्थापन ।
4. अधिनियम के अध्याय 2 की वर्तमान धारा-4 की धारा-4(1) के रूप में प्रतिस्थापन ।
5. धारा-6 में प्रतिस्थापन ।
6. अध्याय 2 की धारा-7 में अंत:स्थापन ।
7. अधिनियम की धारा-8 के उपबंधों का विलोपन एवं प्रतिस्थापन ।
8. अधिनियम की धारा-10 में संयोजन ।
9. धारा-11 का प्रतिस्थापन ।
10. धारा-12 में संयोजन ।
11. अधिनियम के अध्याय (2) की धारा-13 में संयोजन ।
12. धारा-14 का नामान्तरण एवं धारा-14 में नयी उपधाराओं का संयोजन ।
13. व्यावृत्ति ।
14. धारा-28(1) का विलोपन ।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2, 2003) के संशोधन हेतु विधेयकः

प्रस्तावना ।–

चूँकि, इन्टरमीडिएट शिक्षा (+2), माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा की परीक्षा संचालनार्थ झारखंड राज्य में एक अधिविद्य परिषद् की स्थापना हेतु झारखड अधिविद्य परिषद् अधिनियम (झारखंड अधिनियम 2, 2003) को अधिनियमित किया गया था। अधिविद्य परिषद् ऐसी परीक्षा के पाठयकमों और इन्टरमीडिण्ट शिक्षा संस्थाओं, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा की मान्यता के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित यथावश्यक अन्य विषयों या कर्त्तव्यों को कियान्वित करेगी।

और चूँकि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 की अधिनियमिति के उपरान्त परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन करने में, यह प्रतीत हुआ कि कुछ महत्त्वपूर्ण उपबंध जैसे परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युति / परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निरर्हता, परिषद् के कार्य– संचालन, परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों का उपबंध, संस्थाओं के लिए शासी निकाय या प्रबंधन समिति के गठन का उपबंध जहाँ नहीं हो या उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण, परिषद् को अपने कृत्यों एवं कर्त्तव्यों के निर्बाध निर्वहन में कठिनाई का बोध होता था अतः यह आवश्यक हो गया है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 का संशोधन किया जाय।

अब, इसलिए, भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(अ) यह अधिनियम झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलायेगा।

(ब) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(स) यह राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

2. अध्याय (1) की धारा 2 में निम्नलिखित अंतःस्थापित होंगेः

(ड) "संयुक्त सचिव" से अभिप्रेत है परिषद् का संयुक्त सचिव।

(ढ) "वित्त पदाधिकारी" से अभिप्रेत है परिषद् का वित्त पदाधिकारी।

(ण) "परीक्षा नियंत्रक" से अभिप्रेत है परिषद् का परीक्षा नियंत्रक।

(त) "शैक्षणिक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है परिषद् का शैक्षणिक पदाधिकारी।

(थ) "प्रस्वीकृति समिति" से अभिप्रेत है परिषद् की प्रस्वीकृति समिति।

(द) "पाठ्यक्रम समिति" से अभिप्रेत है परिषद् की पाठ्यक्रम समिति।

(ध) "परीक्षा समिति" से अभिप्रेत है परिषद् की परीक्षा समिति।

(न) "वित्त समिति" से अभिप्रेत हैं परिषद् की वित्त समिति।

(प) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है इंटर महाविद्यालय का शासी निकाय।

(फ) "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय तथा मदरसा की प्रबंध समिति।

(ब) "संस्था" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो इंटरमीडिएट (+2), माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय तथा मदरसा जो अधिनियम की धारा 7 (2)(i) के उपबंधों के अधीन प्रस्वीकृत हैं।

(भ) "इंटरमीडिएट महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो इंटरमीडिएट (+2) स्तर की सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा प्रस्वीकृत है।

(म) "सदस्य" से अभिप्रेत है परिषद् का सदस्य।

(य) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।

(र) अधिनियम से अभिप्रेत हैं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम।

(ल) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार।

3. अधिनियम की धारा 3 (I) के बाद धारा 3 (I)(क) अंतःस्थापित की जाएगीः

3 (I) (क) परिषद् का मुख्यालय, राँची में होगा और एक क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में होगा जो संथाल परगना प्रमंडल की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

4. अधिनियम के अध्याय 2 की वर्त्तमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा (4)(I) के रूप में प्रतिस्थापित होगीः

1. परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।

(ख) उपाध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।

(ग) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पदेन सदस्य।

(घ) निदेशक, झारखण्ड शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, पदेन सदस्य।

(ङ) झारखण्ड राज्य की राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि।

(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट माध्यमिक विद्यालय का एक प्रधानाचार्य।

(छ) ख्यातिप्राप्त छः विद्यानुरागीः– कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, महिला तथा अल्पसंख्यक वर्ग से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट।

(ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कम–से–कम 15 वर्षों के शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त संस्कृत का एक विद्वान।

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 15 वर्षों का शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त अरबी, फारसी या उर्दू का एक विद्वान।

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट झारखण्ड विधान सभा के तीन सदस्य।

(ट) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात एवं अनुभवी शिक्षाविद्।

(ठ) +2 विद्यालय/इंटर कॉलेज का एक प्राचार्य।

धारा 4 (4) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः परन्तु नामनिर्दिष्ट सदस्य की पद अवधि उस तारीख से रिक्त माना जाएगा, जब जिस वर्ग का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसकी सदस्यता जिस तारीख कों समाप्त हो जाय।

परन्तु धारा 4 के अधीन विधान सभा के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सदस्यता विधान सभा का सदस्य बने रहने तक या तीन वर्षों तक, जो पहले, हो रहेगी।

परन्तु – परिषद् की सदस्यता में मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा आकस्मिक रिक्ति होने पर, शेष अवधि के लिए उसी वर्ग के प्रतिनिधि का नामनिर्देशन किया जायेगा।

5. **धारा 6 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा जो परिषद् के कार्य –संचालन से संबंधित हैः**

(क) अध्यक्ष द्वारा यथानियत तारीखों कों परिषद् की बैठक सम्पन्न होगी। परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक के समय एवं स्थान का उल्लेख होगा जो परिषद के सदस्यों को बैठक की नियत तारीख से कम–से–कम पन्द्रह दिनों के पहले सूचित की जाएगी। किन्तु अध्यक्ष जब भी उचित समझें अथवा परिषद् के एक चौथाई सदस्यों के लिखित आग्रह पर विशेष बैठक बुला सकते हैं।

(ख) परिषद् की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष साधारणतः नवम्बर/दिसंबर माह में होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार परिषद् की अन्य बैठके उतनी बार सम्पन्न हो सकती है, जितना आवश्यक हो किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से अधिक न हो।

(घ) परिषद् की बैठक के लिए एक–तिहाई सदस्य गणपूर्ति पूरा करेंगे। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी एवं परिषद् के उपस्थित सदस्य आहूत बैठक का कार्यक्रम सम्पन्न करेंगे।

(ङ) बैठक के अनुसरण के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम परिषद् अधिकथित करेगी।

(च) परिषद् किसी ऐसे व्यक्ति को बैठक में सम्मिलित होने के लिए आंमत्रित कर सकती है जो परिषद् की राय में शिक्षा के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो,।

परन्तु जिस विषय पर विचार–विमर्श हो रहा है आमंत्रित विशेषज्ञ परिषद् की परिचर्चा में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(छ) परिषद् का कोई सदस्य किसी ऐसे मामले में मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसमें उसका वैयक्तिक हित सन्निहित हो या विषय किसी ऐसी

संस्था से संबंधित हो जिसमें वह षिक्षक है या शासी निकाय का सदस्य हो।

(ज) परिषद् की बैठक में सभी मामलों का निष्पादन बहुमत से किया जायेगा। मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष महोदय निर्णायक मतदान करेंगे।

(छ) किसी सदस्य द्वारा दिया गया विसम्मति टिप्पण परिषद् के कार्यवृत में अभिलेखित किया जायेगा,

6. **अध्याय 2 की धारा 7 में निम्नलिखित धाराएँ 7 (3), 7(4), 7(5), एवं 7(6) अन्तःस्थापित होंगीः–**

7(3) परिषद् का प्रयोजन एंव शक्तिः–

(क) राज्य सरकार द्वारा भेजे गए इंटरमीडिएट (+2) शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत एवं मदरसा संस्थानों के मामले में परिषद् राज्य सरकार को परामर्श देगी।

(ख) डिग्री महाविद्यालयों से इंटरमीडिएट शिक्षा के पृथक्करण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देगी।

(ग) परिषद् इंटरमीडिएट (+2), माध्यमिक, मध्यमा एवं मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण/पाठ्य–चर्या का निर्माण करना तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् लागू करना।

(घ) संस्थाओं के छात्रों के शारीरिक, नैतिक एवं सामाजिक कल्याण का संबर्धन करना तथा उनमें अनुशासन की भावना जाग्रत करना।

(ङ) यदि कोई मान्यता प्राप्त संस्था मान्यता की किसी शर्त्तों के अनुपालन में विफल रहती है, या कोई संस्था शिक्षा के हित के विपरीत कार्य कर रही हो या परिषद् द्वारा निर्धारित शिक्षण स्तर के अनुपालन संबंधी आदेश का उल्लंघन कर रही हो तो परिषद् पोषण भत्ता कम करने या रोकने की अनुशंसा कर सकती है।

(च) भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण, लेखन–सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं एवं स्तर का निर्धारण करना।

(छ) संस्था के किसी वर्ग (कक्षा) के छात्रों की संख्या निर्धारित करना।

(ज) राज्य सरकार का अनुमादेन प्राप्त कर शैक्षणिक सत्र एवं अवकाश तालिका का निर्धारण करना।

(झ) किसी संस्था से कोई सूचना या प्रतिवेदन की मांग करना।

(ञ) वार्षिक प्रतिवदेन एवं वार्षिक लेखा पर विचार करना एवं आर्थिक प्राक्कलन प्रस्तुत करना एवं राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजना।

(ट) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन प्राप्त कर परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन करना।

(ठ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन करना।

(ड) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर अध्यक्ष एवं सचिव से भिन्न परिषद् के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्तों से संबंधित नियम बनाना।

(ढ) अध्यक्ष एवं सचिव से भिन्न परिषद् के अन्य पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रियानुसार नियुक्ति करना एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

7.4 विश्वविद्यालय के सम्बद्ध या अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट (+2) स्तर के शिक्षण की व्यवस्थाः–

परिषद् डिग्री महाविद्यालयों में संलग्न इंटरमीडिएट (+2) कक्षाओं में समुचित शिक्षण परीक्षादि के लिए संबंधित वि० वि० अधिकारियों से सम्पर्क कर व्यवस्थां कर सकती है।

7.5 मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता की समीक्षाः–

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई संस्था निर्धारित शर्त्तों की पूर्ति तथा शिक्षण एवं अनुशासन के समुचित स्तर का निर्वहन कर रही है, या नहीं, परिषद् प्रत्येक तीन वर्षों में या आवश्यकतानुसार उसके पूर्व भी मान्यता के मामले की समीक्षा कर सकती है

(2) समीक्षोपरान्त उचित एवं युक्तियुक्त कारणों के आधार पर परिषद् यदि आवश्यक समझे, संस्था को दी गई मान्यता लौटा लेने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए सक्षम है।

(3) जहाँ किसी संस्था की मान्यता वापस ली जाती है और परिषद् की पंजी से उसका नाम हटा दिया जाता है तो संस्थान के प्रबंधक को निर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द माना जायेगा। परिषद् पंजीयन प्रमाण-पत्र के रद्दकरण की अधिसूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करेगी।

7.6 मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शासी निकाय/ प्रबंध समिति के गठन के लिए परिषद् की शक्तिः–

(1) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था या धर्म एवं भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक संस्था के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट (+2), माध्यमिक, मध्यमा (संस्कृत) तथा मदरसा संस्था के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए एक शासी निकाय /प्रबंध समिति का गठन परिषद् कर सकेगी, जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

i. संस्था – प्रधान पदेन सदस्य

ii. परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट परिषद का एक प्रतिनिधि;

iii . परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विधान मंडल का एक सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में संस्था अवस्थित है;

iv. राज्य सरकार एक पदाधिकारी जो जिला में पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून कोटि का न हो जिसका नामनिर्देशन परिषद् द्वारा किया जायगा ।

v. संस्था के शिक्षकों द्वारा उनमें से निर्वाचित एक शिक्षक सदस्य।

vi. संस्था को 25000 का दान देने वाले दाताओं द्वारा निर्वाचित एक दाता सदस्य।

vii. शासी निकाय/ प्रबंध समिति द्वारा जिले में रहने वाले शिक्षाविदों या व्यक्तियों जो अपने विद्यानुराग के कारण ख्यातिप्राप्त हों, में से एक को सहयोजित (Co-Opt) किया जाएगा।

viii. जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी – पदेन सदस्य

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न शासी निकाय/प्रबंध समिति कें अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी और उनकी शक्तियों एवं कार्यों का निर्धारण नियम द्वारा किया जायेगा।

(3) केवल सदस्यों की रिक्ति या रिक्तियाँ होने के फलस्वरूप शासी निकाय/ प्रबंध समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

7. अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायः–

8(अ) समितियों का गठनः–

(1) अपने सदस्यों में से परिषद् एक या अधिक निम्नलिखित समितियों का गठन करेगीः–

(क) मान्यता समिति।

(ख) पाठ्यक्रम समिति।

(ग) परीक्षा समिति।

(घ) वित्त समिति।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष परिषद् का अध्यक्ष होगा या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य होगा। अध्यक्ष के अतिरिक्त समिति के सदस्य चार से अधिक नहीं होंगे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक समिति का एक सचिव हेागा जिसका नामनिर्देशन अध्यक्ष परिषद् के पदाधिकारियों में से करेंगे।

8(आ) समितियों के कृत्यः–

1. मान्यता समिति का कृत्य होगा परिषद् को संस्थानों को मान्यता देने के संबंध में परामर्श देना ।

2. पाठ्यक्रम समिति का कृत्य होगा परिषद् को पाठ्यक्रम की प्रस्तुति तथा पुस्तकों के निर्माण या चयन में परामर्श देना ताकि संस्थाओं में शिक्षण का संचालन हो सके।

3. परीक्षा समिति का कृत्य होगा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में परीक्षकों, प्रश्नपत्रचयनतकर्त्ताओं, अनुसीमकों, साररीकारों, वीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य पदाधिकारियों के चयन में अध्यक्ष को परामर्श देना।

4. वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगेः–

(क) परिषद् के वार्षिक प्राक्कलन का निर्माण।

(ख) परिषद् के बजट के अनुरक्षण संबंधी कार्य।

(ग) समय–समय पर परिषद् द्वारा सौंपे गए वित्तीय कार्य का निष्पादन करना।

(घ) परिषद् को वित्तीय मामलों में परामर्श देना।

8. **अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित जोड़े जायेंगेः–**

(i) उपाध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव

(iv) वित्त पदाधिकारी

(v) परीक्षा नियंत्रक

(vi) शैक्षणिक पदाधिकारी

9. **धारा – 11 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित होगीः–**

11(1) **अध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें तथा पदच्युतिः**

(क) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं होगा जब तक कि वह अपनी विद्वत्ता, विद्यानुराग तथा प्रशासनिक क्षमता के लिए ख्याति प्राप्त न हो।

(ख) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् का एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा तथा अपने पद पर तीन वर्षों तक बना रहेगा।

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि वह कार्य नहीं करना चाहता है, या कार्य करने में असमर्थ है या राज्य सरकार का मानना है कि वह परिषद् के हित के विरुद्ध काम कर रहा है।

(ग)(i) राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के समान अध्यक्ष का वेतन एवं सेवा शर्त्तें होंगी।

परन्तु यदि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के समय संबंधित व्यक्ति सेवा निवृत्ति लाभ पेंशन, उपादान, अभिदायी भविष्य निधिं या अन्य सुविधा पाता हो या पाने का अधिकारी हो, तो नियम में विनिर्दिष्ट वेतन में से कुल पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी। पेंशन के किसी अंश का संराशित मूल्य तथा पेंशन समतुल्य अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, वह भी पेंशन की रकम में सन्निहित होगी।

11(2) परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निरर्हता:–

कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने या बने रहने के योग्य या सदस्य के रूप में नामनिर्देशित होने या बने रहने के योग्य नहीं समझा जाएगा–

(क) यदि उसे स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से या अपने भागीदार के माध्यम से–

(i) परिषद् द्वारा प्रकाषित या अनुशंसित किसी पुस्तक में शेयर या हित हो, अथवा

(ii) परिषद् द्वारा या परिषद् की ओर से संविदा पर दिए गए किसी कार्य में शेयर या हित हो।

(ख) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध सरकारी सेवा से हटाने का आदेश पारित किया गया हो, तो परिषद् में नामनिर्देशन के लिए वह योग्य नहीं होगा।

(ग) यदि वह –

(i) न्यायालय के निर्णय में पागल करार कर दिया गया हो।

(ii) दिवालिया हो।

(iii) न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोष सिद्व होने पर तीन माह से अधिक का दंड मिला हो।

स्पष्टीकरण

खंड (क) को उपखंड (i) के प्रयोजनार्थ–

(i) पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में पुनः प्रकाशन एवं पुनःमुद्रण भी शामिल है।

(ii) यदि किसी व्यक्ति का प्रकाशन में या पाठ्यपुस्तकों के व्यवसाय में लाभांश या हित हो, तो वह निरर्हित माना जायगा, तथा

(iii) निरर्हता (अयोग्यता) संबंधी कोई विवाद होने पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

11. (3) उपाध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि एवं सेवाशर्त्तः–

(i) उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायगी।

(ii) उपाध्यक्ष एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा, जो प्रथम बार पदभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक अवधि तक राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद पर बना रहेगा।

(iii) प्रथम पदावधि की समाप्ति पर राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तीन वर्षों से अनाधिक अवधि के लिए उनकी नियुक्ति हो सकेगी।

(iv) राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी जिसे शिक्षा–प्रशासन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो।

(v) उपाध्यक्ष का बेतन एवं अन्य सेवा शर्त्तें झारखण्ड के किसी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के समतुल्य होंगी।

(vi) अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, वह क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका का प्रभारी होगा।

(vii) वह अध्यक्ष के समग्र अधीक्षण के अधीन कार्य करेगा एवं समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(viii) अन्य सेवा–शर्त्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगीः–

10. **धारा 12 के अधीन निम्नलिखित जोड़े जायेंगेः–**

"12 (2) निरर्हता (अयोग्यता) के कारण अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्तिः–

यदि अध्यक्ष या परिषद् का कोई सदस्य धारा 11(2) के अधीन निरर्हित घोषित किया जाता है तो अयोग्यता (निरर्हता) घोषित होने की तारीख से पद रिक्त समझा जाएगा। निरर्हता के कारण हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

12 (3) सदस्यों का त्याग–पत्रः–

(क) पदेन सदस्य के अतिरिक्त परिषद् का कोई सदस्य अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में सौंप सकता है जिसे वह अपने मंतव्य के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(ख) राज्य सरकार सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए राजपत्र में अधिसूचित करेगी एवं संबंधित सदस्य का पद राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से रिक्त होगा।

12 (4) सदस्य का हटाया जानाः–

(क) राज्य सरकार परिषद् की अनुशंसा पर या स्वप्रेरणा से किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसका आचरण दोषपूर्ण पाया गया हो जो राज्य सरकार की राय में उसे सदस्य के रूप में बने रहने में अयोग्य सिद्ध करता है।

(ख उपधारा – (क) के अधीन हटाए गए सदस्य का नाम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं हटाए गए सदस्य का पद राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से रिक्त माना जाएगा।

11. **अधिनियम के अध्याय–(2) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित जोड़े जायेंगेः**

13 (6) इस अधिनियम एतद्धीन बनाये गये नियम, विनियम के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष को, परिषद् के अनुसमर्थन के अध्यधीन, कर्मचारियों के स्वीकृत संवर्ग एवं वेतनमान में तथा अन्य अनुसचिवीय कर्मचारी (परिषद् के पदाधिकारियों के अतिरिक्त) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी एवं उन पर पूर्ण अनुशासनात्मक शक्ति तथा नियंत्रण होगा।

13 (7) अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगीः

(क) परिषद् के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।

(ख) पाठ्य बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों को जैसा वह उचित समझे, कार्य सुपुर्द करने, और

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर सचिव एवं परिषद् के सदस्यों की यात्रा भत्ता स्वीकृत करने की।

12. **धारा 14, धारा 14 (क) पढ़ी जायेगी और धारा–14 में निम्नलिखित 14 (ख), (ग), (घ), एवं (ङ) जोड़े जायेंगे।**

14 (ख) संयुक्त सचिव की अर्हता एवं कर्त्तव्य

(i) संयुक्त सचिव एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा, वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से अन्यून कोटि का पदाधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

(ii) वह अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा और समय–समय पर समनुदेशित कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा।

(iii) संयुक्त सचिव के दो पद होंगे, एक संयुक्त सचिव परिषद् की स्थापना एवं प्रशासन का प्रभारी होगा और दूसरा संयुक्त सचिव इंटरमीडिएट महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं मध्यमा (संस्कृत) विद्यालयों की स्थापना–संबंधी कार्य का प्रभारी होगा।

14. (ग) वित्त पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्त्तव्यः–

(क) वित्त पदाधिकारी परिषद् का पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा।

(ख) उसे दस वर्षों का वित्तीय प्रशासन का अनुभव हो एवं लेखा, अंकेक्षण और वजट प्रक्रियाओं का विषद ज्ञान हो।

(ग) उसे वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री तथा वित्तीय प्रबंधन में एम० बी० ए० डिग्री होनी चाहिए।

(घ) परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति होगी।

(ङ) वह वित्त समिति के सचिव के रूप में काम करेगा तथा अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करेगा।

(च) उसका वेतनमान संयुक्त सचिव के वेतनमान के अनुरूप होगा।

14. (घ) परीक्षा नियंत्रक की अर्हता एवं कर्त्तव्यः–

(i) परीक्षा नियंत्रक परिषद् का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा।

(ii) उसे विश्वविद्यालय प्रषासन में या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो और उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता प्राप्त हो।

(iii) परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति होगी।

(iv) परीक्षा नियंत्रक सभी परीक्षाओं (इंटरमीडिएट/+2, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं मध्यमा (संस्कृत)) के संचालन में तथा समय पर परीक्षाफल प्रकाशन में परिषद् की सहायता करेगा।

14(ङ) शैक्षिक पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्त्तव्यः–

(i) शैक्षिक पदाधिकारी परिषद् द्वारा नियुक्त एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा।

(ii) उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए या उसे किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षण अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम–से–कम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

13. **व्यावृत्ति। –**

धारा 29 में मूल पाठ की दूसरी पंक्ति से निम्नलिखित विलोपित किया जाय।

"एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर"

14. **धारा 28 (1) विलोपित की गई।**

यह विधेयक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 24 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 37--50--5-9-2006 ।